प्र.सं. ________ / दावा / प्र.पत्र / ________

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज पीठा- सीन अधिकारी राज. कार्य बाहर होने से तारीख बदली है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण हड़ताल पर है। अतः पत्रावली वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/25 को पेश हो।	
[illegible]/25 वकील प्रार्थी उप.। जवाब पेश करे। प्राप्त। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दि. 30/12/25 को पेश हो।	
[illegible]2/25 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी में वादीगण के पिता व पति का नाम हीरा के स्थान पर हीरा उर्फ सीताराम किया जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
0 पत्र/2025	09.05.2025	30.12.2025

बनन्द पुत्र श्री सीताराम उम्र वयस्क निवासी लाडपुर तहसील तालेडा जिला बुन्दी राजस्थान।
फोरमेन मीना पुत्र श्री सीताराम उम्र. वयस्क निवासी लाड़पुर तहसील तालेडा जिला बुन्दी।
मुरारी पुत्र श्री सीताराम उम्र वयस्क निवासी लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
4. मशरू बाई पत्नी श्री सीताराम उम्र वयस्क निवासी लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादी :- श्री नवीन गुर्जर
अधिवक्ता प्रतिवादी :- पैरोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 23 रकबा 1.8130 है0 वाके ग्राम भूमाखेडा, खसरा संख्या 371 रकबा 0.0971 है0, खसरा संख्या 22 रकबा 0.7527 है0, खसरा संख्या 356 रकबा 0.4452 है0 वाके ग्राम लाड़पुर तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जिसमें वादीगण का हिस्सा निहित है जिस पर वादीगण खातेदार के रूप में अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादीगण वाद में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है वादी सं. 1 लगायत 3 के पिता व वादी सं. 4 के पति सीताराम की मृत्यु के उपरान्त भूमि पर फौती इंतकाल उनके वारिसान का खोला गया तत्समय वादी सं. 1 लगायत 3 के पिता का नाम छीतर व वादी सं. 4 के पति का नाम छीतर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि वादी सं. 1 लगायत 3 के सभी दस्तावेजो में पिता नाम सीताराम व वादी सं. 4 के पति का नाम सीताराम अंकित है। वादीगण के नामान्तरण प्रार्थना पत्र मे पिता व पति का नाम सीताराम अंकित होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन नहीं कर बोलता पिता/ पति का नाम सीताराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वादी की भूमि जो वादपत्र में वर्णित है का जब फौती इंतकाल दर्ज हुआ तो उक्त भूमि पर मुझ वादीगण के पिता/पति का बोलता नाम छीतर ही दर्ज किया जबकि वादीगण द्वारा तहसील तालेड़ा में इस सम्बंध में शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु पिता/पति का नाम छीतर ही दर्ज हुआ जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन-फानन में वादीगण के पिता/पति का नाम छीतर ही दर्ज कर दिया तथा वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के हक अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय की अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे की वादीगण के पिता/पति छीतर उर्फ सीताराम एक ही व्यक्ति है तथा वादीगण का उक्त भूमि पर हक व अधिकार है तथा छीतर उर्फ सीताराम एक ही व्यक्ति होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/ पति का नाम छीतर के स्थान पर सीताराम दर्ज करने का आदेश प्राप्त करे। गलत नाम के चलते वादीगण को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं इस बाबत् जब वादीगण द्वारा तहसीलदार तालेडा एक माह पूर्व निवेदन किया की वादीगण के पिता/पति का नाम शुद्ध किया जावे तो तहसीलदार तालेड़ा द्वारा वादीगण के साथ टालमटौल की गई एवं वादीगण की समस्या का कोई समाधान नही किया गया एवं वाद वर्णित भूमि से वादीगण का हक व अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया एवं वादीगण के नाम शुद्धिकरण के सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नही की गई। गलत नाम दर्ज होने से वादीगण को उक्त भूमि कि संबंध में केसीसी, सरकारी/गैर सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है गलत नाम दर्ज होने से वादीगण को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाता है लेकिन वादीगण की वाद आवश्यक प्रवृति का है। तथा प्रतिवादी सं. 1 वादीगण की खातेदारी की वाद वर्णित भूमि को सिवाई चक दर्ज करने पर आमादा हो रहे है यदि 2 माह पूर्व का नोटिस दिया गया तो वादीगण के वाद प्रस्तुती का अभिप्रायः ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रतिवादी सं. 1 वादीगण को नुकसान कारित करने के मकसद मे कामयाब हो जायेंगे। वादीगण माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते है कि वादीगण की भूमि वादपत्र में

काबिज काश्त के आधार पर एवं दस्तावेजो के आधार पर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित करे कि पुनः के खाते की भूमि जो वादपत्र में वर्णित है पर वादीगण के पिता/पति का नाम छीतर उर्फ सीताराम पुत्र भंवरलाल र अंकित करे । अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या रकबा 1.8130 है0 वाके ग्राम भूमाखेडा, खसरा संख्या 371 रकबा 0.0971 है0, खसरा सख्या 22 रकबा 0.7527 है0, सरा सख्या 356 रकबा 0.4452 है0 वाके ग्राम लाड़पूर तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है पर वर्तमान में वादीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये वादीगण के अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी में वादीगण के कब्जे काश्त व दस्तावेजो के आधार पर वादीगण के पिता/पति का नाम छीतर उर्फ सीताराम का नाम शुद्धीकरण करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे ।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 381 वाके ग्राम भूमाखेडा, खाता सं0 410 व 15 वाके ग्राम लाडपुर, वोटर आईडी कार्ड देवानन्द, मशरू बाई, फोरमेन मीना, मृत्यु प्रमाण पत्र सीताराम व फोटो पहचान पत्र सीताराम पेश किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार तालेडा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम भूमाखेडा में खसरा सं0 23 पर नामान्तकरण सं0 718 दिनांक 27.07.2006 द्वारा खातेदार लाला वल्द नहनू कौम मीना सा0 लाडपुर खातेदार के फौत होने पर वादी सं0 1 लगायत 4 का अंकन दर्ज हुआ। ग्राम लाडपुर में खसरा सं0 356 पर नामान्तकरण 562 दिनांक 12.10. 2001 व खसरा सं0 22 पर नामान्तकरण सं0 561 दिनांक 12.10.2001 द्वारा खातेदार छीतर पि0 लाला कौम मीना के फौत होने पर मुरारी , देवनन्द, फोरमेन पि0 छीतर, मु0 मसरू पत्नि छीतर का अंकन दर्ज हुआ था। उपस्थित मौतबिरानों द्वारा बताया गया की छीतर पुत्र लाला कौम मीना सीताराम पुत्र लाल कौम मीना (मृतक) एक ही व्यक्ति था। इसके अतिरिक्त ग्रामीणो द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार पाया गया की सीताराम पुत्र लाला, छीतर पुत्र लाला नाम का अन्य कोई व्यक्ति पटवार मण्डल में मौजूद नहीं है।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न अभिलेखो का निरिक्षण एवं परीक्षण विधिक विवेचना उपरान्त निर्णय किया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष सुनीं गयीं। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 23 रकबा 1.8130 है0 वाके ग्राम भूमाखेडा, खसरा संख्या 371 रकबा 0.0971 है0, खसरा सख्या 22 रकबा 0.7527 है0, खसरा सख्या 356 रकबा 0.4452 है0 वाके ग्राम लाड़पूर तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है पर वर्तमान में वादीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये वादीगण के अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी में वादीगण के कब्जे काश्त व दस्तावेजो के आधार पर वादीगण के पिता/पति का नाम छीतर उर्फ सीताराम का नाम शुद्धीकरण करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।

पेरोकार सरकार ने दोराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज का विवेचन कर वादीगण के पिता का नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि मूल पुरुष लाला के तीन पुत्र कस्तूरा, झींतूलाल व छीतर थे। छीतर की पत्नि मशरू बाई व तीन पुत्र मुरारी, देवनन्द व फोरमेन है। छीतर की मृत्यु होने पर वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज हुआ है । पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र सीताराम मृत्यु दिनांक 01.09.2001 का अवलोकन करने पर सीताराम के पिता लालू मीना पत्नि मशरू बाई एवं माता मोतिया बाई होना प्रमाणित है रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार छीतर एवं सीताराम एक ही व्यक्ति है। यह उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित प्रविष्ठियों से भी प्रमाणित होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 23 रकबा 1.8130 है0 वाके ग्राम भूमाखेडा, खसरा संख्या 371 रकबा 0. 0971 है0, खसरा सख्या 22 रकबा 0.7527 है0, खसरा सख्या 356 रकबा 0.4452 है0 वाके ग्राम लाड़पूर तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में वादीगण के पिता व पति का नाम छीतर के स्थान पर छीतर उर्फ सीताराम किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा